



उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

गुरुवार, 23 फाल्गुन, शक संवत्, 1934


(दिनांक : 14 मार्च, 2013)

समय : 03 : 00 बजे अपराह्न

1. शुभारम्भ "वन्दे मातरम्" (देखिये नत्थी "क")।
2. मा0 अध्यक्ष, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़कर सुनायेंगे।
3. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-"ख")

देहरादून :
दिनांक : 14 मार्च, 2013

आज्ञा से,

(डी०पी० गौरोला)
प्रमुख सचिव।



कर्णतराखण्ड विमान सभा

नत्थी "क"

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्॥

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शष्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्॥

शुभ-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्

फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्॥

बत्थी "ख"

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 13 मार्च, 2012 की बैठक में दिनांक 14 मार्च, 2013 से 25 मार्च, 2013 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

मार्च, 2013,

14	गुरुवार	मा0 अध्यक्ष द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का पाठ (अपराहन 03:00 बजे)।
15	शुक्रवार	धन्यवाद प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा।
16	शनिवार	अवकाश।
17	रविवार	अवकाश।
18	सोमवार	बैठक नहीं होगी।
19	मंगलवार	(1) धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारण। (2) विधायी कार्य।
20	बुधवार	माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण। (अपराहन 04:00 बजे)
21	गुरुवार	(1) वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा। (2) विधायी कार्य।
22	शुक्रवार	(1) वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा। (2) विधायी कार्य। (3) असरकारी कार्य।
23	शनिवार	अवकाश।
24	रविवार	अवकाश।
25	सोमवार	(1) विभागवार अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान। (2) विनियोग विधेयक का पुर-स्थापन, विचार एवं पारण। (3) विधायी कार्य।

“नत्थी”-“ख”

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 की बैठक में दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 एवं दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

दिसम्बर, 2012

13 गुरुवार,

1- विधायी कार्य।

1. उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण । (30 मिनट)
2. उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण । (30 मिनट)
3. उत्तराखण्ड राज्य एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण । (30 मिनट)
4. उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल उपयोग कर विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण ।(30 मिनट)

2- नियम-54 के अन्तर्गत सूचना।

- (1) श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा के नियम-54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:-

“प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।” (30 मिनट)

- (2) श्री नयप्रभात, सदस्य, विधान सभा के नियम-54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:-

“जनपद देहरादून के पछादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षों से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के संबंध में।” (30 मिनट)

3- नियम-105 के अन्तर्गत प्रस्ताव।

- (1) श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा।

“यह माननीय सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य को ग्रीन बोनस दिया जाय।” (30 मिनट)

- (2) नियम- 105 के अन्तर्गत श्री नवप्रभात, सदस्य विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा।

“यह माननीय सदन रेल मंत्रालय केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य जनपद देहरादून के हर्वाला नामक स्थान को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकटतम स्थान तक सीधे रेल मार्ग से जोड़ने के लिए एक नये रेल मार्ग की स्वीकृति दी जाय।” (30 मिनट)

14 शुक्रवार,

1- विधायी कार्य।

1. उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण । (30 मिनट)
2. उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण । (30 मिनट)
3. विविध राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण । (30 मिनट)